# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 5124 / 2022**

सुशीला शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 30.09.2022
**आदेश की दिनांक** : 14.11.2022

**<u>उपस्थित –</u>**
अपीलार्थी की ओर से : श्री जैरी वर्गीस, अभिभाषक

**समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य**
**एम.एस.काला, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 28.09.1992 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फागी, जयपुर में हुई थी तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2013 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र गोंद ब्लॉक फागी, जयपुर से जनाना अस्पताल जयपुर में किया गया तथा आदेश दिनांक 22.07.2013 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर, में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र भिडोली, दौसा 100 कि.मी. दूर आदेश में अधिशेष/आदेश की प्रतीक्षा में कर्मचारी की श्रेणी में डालते हुए स्थानान्तरण किया गया है तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.06.2022 (अनुलग्नक–5) को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिय गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी बहुत समय से बीमार चल रही है। अपीलार्थी विगत 6 वर्षों से

मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर से अपना इलाज ले रही हैं (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी कह सेवानिवृति में बहुत कम समय शेष है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–4) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2022 (अनुलग्नक–5) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर, में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–4) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर वर्ष 2013 से कार्यरत है। अपीलार्थी का पद ए.एन.एम. है तथा आदेश दिनांक 18.07.2013 (अनुलग्नक–1) से अपीलार्थी को जनाना अस्पताल जयपुर में नर्स द्वितीय के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की स्थिति स्वमेव ही अधिशेष की हो जाती है। आलोच्य आदेश व्यापक जनहित में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के टीए/डीए एवं योगकाल अनुमत्त करते हुए जारी किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

**(एम.एस.काला)**
**सदस्य**

**(मातादीन शर्मा)**
**सदस्य**